

Received on date  
6/12/06 R. E. Yadav  
6/12/06

Directorate of Secondary Education / माध्यमिक शिक्षा निदेशालय



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार  
Office of Commissioner  
Cum  
Director General School Education

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास  
Education, Culture and Development  
EDUCATION DEPARTMENT  
शिक्षा विभाग, हरियाणा  
तमसो मा ज्योतिर्गमय  
From Darkness lead me to Light

Off.: 30 Bays Building, 3rd Floor, Sector 17-B, Chandigarh - 160017 (India) Tel: 91(0172)-2701333 Fax: 91(0172)-2701347  
कार्यालय: 30 बेज बिल्डिंग, तृतीय तल, सेक्टर 17-बी चण्डीगढ़, -160017 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2701333 फैक्स: 91 (0172) 2701347  
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

आदेश क्रमांक 23/174-2003 PS (2)

दिनांक, चण्डीगढ़ 4.12.2006

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए C.L. Public School, Narnaul (Mehandergarh) को कक्षा 1 से 5वीं तक को केन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के पाठ्यक्रम की अनुमति प्रदान की जाती है। विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक 23/174-2003 SI(2) दिनांक 4.08.2005 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनुमति प्रमाण पत्र भी वापस लिया समझा जाएगा। विद्यालय का कोड नं० Primary/NNL/CBSE/2006-07 है।

अनिल मलिक  
निदेशक विद्यालय शिक्षा, हरियाणा,  
चण्डीगढ़।

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक, चण्डीगढ़ 5-12-2006

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

है:-

1. प्रबन्धक समिति, Chandu Lal Shiksha Samiti, Narnaul
2. सचिव केन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड, नई दिल्ली।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, Narnaul।
4. मास्टर फाईल।

अधीक्षक पी.एस.

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा, हरियाणा,  
चण्डीगढ़।



**Directorate Of Secondary Education**  
**माध्यमिक शिक्षा निदेशालय**

Off.: 30 Bays Building, 3rd Floor, Sector 17-B, Chandigarh - 160017 (India) Tel: 91(0172)-2701333 Fax: 91(0172)-2701347  
कार्यालय: 30 बेज बिल्डिंग, तृतीय तल, सेक्टर 17-बी चण्डीगढ़ -160017 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2701333 फैक्स 91 (0172) 2701347  
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

आदेश क्रमांक 23/174-2003 S-I (2)

दिनांक, चण्डीगढ़ 19.06.2006

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए **C L Public School, Narnaul** को कक्षा 6वीं से 12वीं (Arts, Commerce & Science Streams) तक को सम्बधता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक 23/174-2003 S-I (2) दिनांक 4.08.2005 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापस लिया समझा जाएगा। विद्यालय का कोड नं० 141/NNL/12/BOSE/2005 है।

के०के०रवण्डेलवाल  
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,  
चण्डीगढ़।


पृष्ठाकन क्रमांक सम

दिनांक, चण्डीगढ़ 19.06.2006

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

है:-

1. प्रबन्ध समिति, **Chandu Lal Shiksha Samiti, Narnaul (Mohindergarh)**.
2. सचिव केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड, नई दिल्ली।
3. सचिव, विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, ~~Gurgaon~~ Narnaul.
5. मास्टर फाईल।

  
अधिक्षक प्राईवेट स्कूल  
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,  
चण्डीगढ़।